फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

प्रहलाद प्रसाद बनाम राकेश जिंदल वगै0

[प्रार्थ]ना पत्र संख्या : 45/2022

[संख]या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	23.07.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सी0पी0सी0 के आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थना पत्र, स्थगन प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तथा वकील उभय पक्षों की बहस का मनन किया गया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दूओ को दोहराते हुए निवेदन किया कि श्रीमान न्यायालय द्वारा मुकदमा नम्बर 20/2020 उनवानी राकेश जिन्दल बनाम कल्याण वगै0 में पारित प्राथमिक डिक्री एवं निर्णय दिनांक 21.09.2021 एवं अन्तिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.09.2021 अपास्त की जाकर उक्त निर्णय एवं डिक्री अनुसार राजस्व रिकार्ड में की गई पालना को निरस्त फरमाया जाकर प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिया जाकर प्रकरण का निस्तारण पुनः किया जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। वकील अप्रार्थीगणों ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दूओ को ताईन्द करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के पिता कल्याण को वाद की पूर्ण जानकारी रही है तथा कल्याण का स्वर्गवास दिनांक 05.07.2021 को हुआ है जबकि उक्त प्रकरण की तामील दिनांक 12.03.2020 को ही हो चुकी थी तथा तामील हो जाने के बाद एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्राथमिक डिक्री व अन्तिम डिक्री निष्पादित की गई थी जिसका राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो चुका है इस आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें तथा आदेश 9 नियम 13 सी0पी0सी0 वह व्यक्ति प्रस्तुत कर सकता है जो वाद में पक्षकार हो व उसके विरूद्व निर्णय व डिक्री की गई हो। उक्त प्रकरण में प्रार्थी पक्षकार नही था प्रार्थी के पिता पक्षकार था जिसको सम्यक रूप से तामिल की गई थी अगर किसी प्रकार के प्रार्थी के अधिकार निर्णय व डिक्री से बाधित है तो प्रार्थी को मात्र अपील पेश करने का अधिकार है। उक्त आशय का प्रार्थना पत्र पेश करने का प्रार्थी को कोई अधिकार नही है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सी0पी0सी0 सारहीन होने से खारिज फरमाया जावें। अतः पत्रावली में वकील उभय पक्षो की बहस का मनन करने व अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी के पिता को वाद के संबंध में सम्यक तामिल हो चुकी थी तथा वाद की पूर्ण जानकारी भी थी। लेकिन वह तत् समय न्यायालय में	

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला [जयपुर]

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

प्रहलाद प्रसाद बनाम राकेश जिंदल वगै0

प्रार्थना पत्र संख्या : ५८/2022

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
		उपस्थित नही हुए और प्रकरण में विधि अनुरूप प्रार्थी के पिता के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी0पी0सी0 को स्वीकार करना उचित नही समझते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी0पी0सी0 पोषणीय नही होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। निर्णय आज सरे इजलास सुना गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला-जयपुर	